कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 204 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 23.01.2002

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः— भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टाम्प शुल्क उन्मुक्ति योजना, 2002 ।

——

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2002 से दिनांक 15 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए राज्य में ''स्टाम्प शुल्क उन्मुक्ति योजना—2002 की घोषणा की गई है। योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए आवेदन जिले के जिला पंजीयक तथा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प कोप्रस्तुत किया जाता है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सुसंगत अभिलेखों की सूची शासन के पत्र क्रमांक एफ—बी—4—6—2001 वा.की—5 दिनांक 05.01.2002 में दी गई है।

उक्त आवेदनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी —

1. आवेदन स्वयं जिला पंजीयक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर मय तारीख के एवं मुद्रा के अधीन ग्राह्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति संबंधित पक्षकार को दिया जाना आवश्यक होगी। प्रत्येक आवेदन पत्र पर अनुक्रमों डाला जाना आवश्यक होगा।

2. प्रत्येक कार्यालय में उक्त योजना के लिए एक पृथक से रजिस्टर प्रारूप एक में रखा जायेगा। आवेदन प्राप्त होने के तत्काल बाद आवेदन से संबंधित प्रविष्टियाँ उक्त पंजी में की जायेगी।

3. दस्तावेज के संबंध में न्याय निर्णयन करने के उपरांत इस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क चुकवाकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के अधीन प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र निम्न प्रारूप में होगा —

''मध्यप्रदेश स्टाम्प उन्मुक्ति योजना, 2002 के अंतर्गत प्रस्तुत इस लिखित में अन्तरित संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये निर्धारित किया जाता है। प्रकरण में स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये .... एवं शास्ति की राशि (यदि कोई हो) .... श्री .... निवासी . ... द्वारा चालान क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जमा किया गया। लिखत में सम्यक रूप से स्टाम्पित मान्य किया जाता है।

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

....

4. उक्त कार्यवाही के उपरांत पक्षकारों को संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में लिखित की पंजीबद्ध कराने हेतु निर्देशित करें।

5. उप पंजीयक कार्यालय में उन्मुक्ति योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध दस्तावेजों के सबंध में पृथक से प्रारूप–2 में रजिस्टर संधारित करायें। इसमें इस योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रत्येक दस्तावेज से संबंधित पंजीयन फीस की राशि का उल्लेख किया जायेगा।

6. प्रत्येक जिला पंजीयक प्रत्येक पन्द्रह दिवस में उसके कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की संख्या, निराकृत प्रकरणों की संख्या तथा इनमें चुकाई गई स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि की जानकारी महानिरीक्षक पंजीयन को भेजेगा।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश.

पृष्ठांकन क्रमांक 205/तक./एक/2002 भोपाल, दिनांक 23.01.2002

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त उप पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन

मध्यप्रदेश.

कार्यालय जिला पंजीयक ....

प्रारूप एक

मध्यप्रदेश स्टाम्प शुल्क उन्मुक्ति योजना 2002 के अन्तर्गत जिला पंजीयक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

आवेदन पत्र का अनुक्रमांक	आवेदक का नाम तथा पता	लिखत के पक्षकारों का विवरण नाम तथा पता	संव्यवहार का वर्ष	आवेदन के साथ प्राप्त अभिलेख	प्रकरण में जिला पंजीयक द्वारा आदेश पारित करने का दिनांक	लिखत में दर्शाई गई संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य	स्टाम्प शुल्क/ शास्ति का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कार्यालय जिला पंजीयक ....

प्रारूप –दो

मध्यप्रदेश स्टाम्प शुल्क उन्मुक्ति योजना 2002 के अन्तर्गत जिला पंजीयक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

स. क्र.	दस्तावेज क्रमांक एवं दिनांक	पक्षकारों के नाम तथा पता	संपत्ति का विवरण	जिला पंजीयक द्वारा आदेशपारित करने का दिनांक	चुकाए गए स्टाम्प शुल्क की राशि	चलाए गऐ / पंजीयन फीस की जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8